बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं०– 01/2017, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के अन्तर्गत भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के कुल 903 पदों पर सुयोग्य भारतीय नागरिक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इन रिक्त 903 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र० सं०	कोटि	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	गैर–आरक्षित वर्ग	357	111
	अनुसूचित जाति	184	58
	अनुसूचित जनजाति	03	01
	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	231	66
	पिछड़ा वर्ग	82	26
	पिछड़ा वर्ग की महिला	46	–
कुल		**903**	**262**

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या–	18 (अठारह)

3. विकलांगता अधिनियम–1995 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 03 (तीन) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या–		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	9
(ii)	मूक बधिर (DD)	9
(iii)	अस्थि विकलांग (OH)	9

2. **वेतनमान** :– वेतनमान– 9300–34800/– + ग्रेड पे– 5400/–

3.(i) **शैक्षिक योग्यता** :– भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.भी.एस.सी. अथवा बी.भी.एस.सी. एण्ड ए.एच. (B.V.Sc or B.V.Sc. & A.H) की डिग्री।

विज्ञापित पद पर नियुक्ति हेतु केवल बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से निबंधित पशु चिकित्सक योग्य अभ्यर्थी होंगे।

(ii) **कार्यानुभव** :– बिहार सरकार के अधीन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में संविदा/अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सक, पशुपालन पदाधिकारी, विषयवस्तु विशेषज्ञ (एस०एम०एस०) के रूप में कृषि विभाग में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड) में कार्यरत पशु चिकित्सक तथा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत पशु चिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जाएगी।

4. **उम्र सीमा** – दिनांक– 01.08.2016 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)– 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला– 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)– 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 01.08.2005 से 01.08.2016 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अर्थात उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गए हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **आरक्षण**:

(i) आवेदन प्रपत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन प्रपत्र के कंडिका–6 में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix) आवेदन प्रपत्र में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नही करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नही होंगे।

6. **शुल्क** :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/– (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

7. चयन प्रक्रिया :–

शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा :–

(i)	बी॰भी॰एस॰सी॰ अथवा बी॰भी॰एस॰सी॰ एण्ड ए॰एच॰ (B.V.Sc. or B.V.Sc. & A.H) में प्राप्तांक	कुल 50 अंक
(ii)	M.V.Sc. डिग्री	कुल 05 अंक
(iii)	बिहार सरकार के सरकारी पशु चिकित्सालयों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति उपरांत कार्यानुभव के लिए अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 04 अंक एवं अधिकतम 20 अंक दिये जा सकते है।	कुल 20 अंक
(iv)	मौखिक साक्षात्कार	कुल 25 अंक

टिप्पणी :–(i) बी॰भी॰एस॰सी॰ अथवा बी॰भी॰एस॰सी॰ एण्ड ए॰एच॰ (B.V.Sc. or B.V.Sc. & A.H) के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50 X 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।

(ii) CGPA/OGPA की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रतिशत गणना का चार्ट/प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः– कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संबंधित विभागों/संस्थानों/कार्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा निर्गत होना चाहिए। कार्यानुभव प्रमाण–पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ वेबसाईट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।

किसी अन्य प्रपत्र में प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रमाण–पत्र के ऊपर पशुपालन निदेशक कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक अनिवार्य है।

8. अन्यः

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

9. अंतिम तिथि –:

(i) पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि वह शुक्रवार, 31 मार्च, 2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

आवेदन–पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

10. प्रविष्टिः

(i) आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; सही एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे :–

(i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय :–

स्नि	न	ग	धा

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा– ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगेः–

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

(iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

(iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04 एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।

उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) स्तम्भ (कॉलम) 09 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 10 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

11. फोटोग्राफ :–

आवेदन–पत्र के पृ॰–1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम–से–कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

12. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

13. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

14. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

15. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें।

(i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);
(ii) बी॰भी॰एस॰सी॰ अथवा बी॰भी॰एससी॰ एण्ड ए॰एच॰ का प्रमाण पत्र;
(iii) बी॰भी॰एस॰सी॰ अथवा बी॰भी॰एससी॰ एण्ड ए॰एच॰ का अंक पत्र;
(iv) एम॰भी॰एससी॰ का प्रमाण पत्र;
(v) बिहार सरकार के सरकारी पशु चिकित्सालयों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति उपरांत कार्यानुभव प्रमाण पत्र। इस कंडिका–15(v) से संबंधित विहित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। अभ्यर्थी उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति;

(vii) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति भी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे।

(viii)आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ii) **16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

(iii) **जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम, जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।**

16. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

1/3/17

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।